न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट,दौसा

पीठासीन अधिकारी	–	बृजेन्द्र मीना (आरएएस)
	–	सहायक कलक्टर, लालसोट
मुकदमा नम्बर	–	136/2013, 2013/00213
पूर्व नम्बर	–	209/1994
दर्ज दिनांक :–	–	02. 08. 2013

1. भौरी बेवा धन्ना (फौत)
   कल्याणी बेवा गोविन्दराम जाति मीना निवासी ग्राम चिमनपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान

– वादिनी

बनाम्

1. बदरी पुत्र गोपाल
2. हरिनारायण पुत्र गोपाल (फौत)
   2/1 कल्ली बेवा हरिनारायण
   2/2 ज्ञाना पिता हरिनारायण
   2/3 जगदीश पिता हरिनारायण
3. नरसी पुत्र गोपाल (फौत)
   3/1 फूलचन्द पुत्र नरसी
4. रामसहाय पुज जगराम
5. रूपा पुत्र जगराम
6. जगन्नाथ पुत्र जगराम
7. बिरदा पुत्र किशना (फौत)
   7/1 रामफूल पुत्र बिरदा
   7/2 रतनलाल पुत्र बिरदा
   7/3 कल्याणी बेवा बिरदा
8. नोन्दा पुत्र मान्या (फौत)
   क. श्रवण पुत्र नोन्दा
   ख. मूल्या पुत्र नोन्दा
   ग. कल्याण पुत्र नोन्दा
9. कजोडया पिता हट्टया

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम चिमनपुरा तहसील लालसोट जिला–दौसा राज0

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

10. रेवडया पिता हटटया
11. रामचन्दा पुत्र हीराचन्द
12. पून्या पुत्र हीराचन्द
13. कल्याण पुत्र हीराचन्द
14. शंकर पुत्र सुवा (फौत)
    क. चिमन्या पुत्र शंकर
    ख. घासी पुत्र बिशन्या

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम चिमनपुरा तहसील लालसोट जिला–दौसा राज0

15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला–दौसा राजस्थान

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–	श्री इश्तियाक मोहम्मद	–	अधिवक्ता वादी
	श्री प्रेमस्वरूप लामडा	–	अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 28-07-2023

प्रकरण के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी भौरी बेवा धन्ना जाति मीना निवासी चिमनपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नानुसार चिमना का सजरा दर्शाते हुए

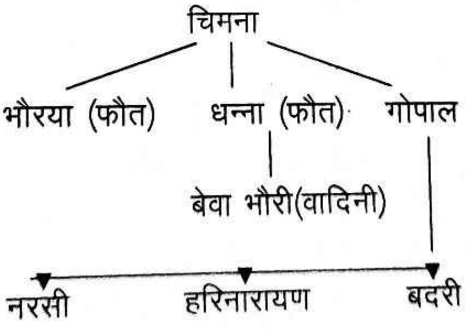

इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 93/1 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 118 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 351 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 414/86 रकबा

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

11 बिस्वा, खसरा नम्बर 119/1 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा कुल किता–5 कुल रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम चिमनपुरा तहसील लालसोट में स्थित है। अन्य आराजी खसरा नम्बर 71 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का हिस्सा 1/3, 1/3 है। यह भूमि भी ग्राम चिमनपुरा तहसील लालसोट में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 3/2 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 47/1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 148/2 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 335/2 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 335/4 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 335/1 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता–7 कुल रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम चिमनपुरा जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का भी 1/4 व प्रतिवादी 9,10 के पिता हटटया का 1/4 हिस्से में से 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 13 का भी 1/4 हिस्से में से 3/16 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड है। हटटया पुत्र पांचू की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जा चुका है। अन्य आराजी खसरा नम्बर 74 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3, 4 लगायत 6 व 7 तथा 9 लगायत 10 के पिता हटटया का 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज है, उक्त भूमि भी ग्राम चिमनपुरा में ही स्थित है। खसरा नम्बर 308 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम चिमनपुरा तहसील लालसोट में स्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 का हिस्सा 1/2 दर्ज है। एक अन्य भूमि आराजी खसरा नम्बर 325 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा स्थित वाकै ग्राम चिमनपुरा तहसील लालसोट में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 2/3 हिस्से में से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 का 2/3 में से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 2/3 हिस्से में 1/4 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 9–10 का 2/3 में से 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 14 का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादिनी का कहना है कि उक्त सजरे के अनुसार ही चिमना के तीन पुत्र भौरया, धन्ना व गोपाल थे। चिमना की मृत्यु के पूर्व ही भौरया व धन्ना की मृत्यु हो चुकी थी। इस तहर से चिमना की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि में उसके हिस्से पर भौरया की बेवा व धन्ना की बेवा वादिनी भौरी एवं गोपाल अपने अपने हिस्से 1/3–1/3 पर काबिज रह कर काश्त करते थे। भौरया की बेवा एवं गोपाल की भी मृत्यु हो चुकी है। इस तरह से चिमना की हिस्से की भूमि पर वादीनी भौरी एवं प्रतिवादी न0 1 लगायत 3 काबिज रहकर काश्त कर रहे है तथा वर्तमान में वादिनी ने अपने हिस्से की भूमि पर बाजरा आदि फसल काश्त की है।

आगे वादिनी के कथन है कि चिमना की मृत्यु के पूर्व उसके पुत्र भौरया व धन्ना की मृत्यु की हो चुकी है इसका प्रतिवादी न0 1 लगायत 3 के पिता गोपाल ने फायदा उठाकर अपने अकेले के नाम ही चिमना की विरासत का नामान्तरकरण करवा कर तस्दीक करवा लिया तथा गुपचुप तरीके से अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया जबकि चिमना की मृत्यु के पश्चात् उसके हिस्से पर वादिनी व गोपाल संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त करते थे तथा अपने हिस्से अनुसार लगान भी अदा कराते रहे है। इस तरह प्रतिवादी 1 लगायत 3 के पिता गोपाल ने चिमना की मृत्यु के पश्चात् स्वयं के हक में नामान्तरकरण खुलवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करा लिया जो

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज0)

बमुकाबले वादीनी कलेदम बेअसर है तथा वादीनी गोपाल के हिस्से की भूमि पर अपने 1/2 हिस्से की अधिघोषणा अपने हक में कराने की अधिकारी है।

वादिनी के आगे अभिवचन है कि दिनांक 19.07.1994 को वादीया अपने हिस्से की भूमि की मौजूद रहकर अपनी फसल की रखवाली कर रही थी कि अचानक प्रतिवादी 1 लगायत 3 आये और कहा कि तुम अब उक्त भूमि के तुम्हारे हिस्से की भूमि छोड दो तुम्हारा इस भूमि से कोई लेना–देना नहीं है ना ही तुम्हारे नाम कोई भूमि है यदि तुमने इस भूमि पर से अपना कब्जा नहीं हटाया तो हम तुम्हारे कब्जे काश्त में दखलांदाजी कर तुम्हे लाठी के बल जबरन बेदखल कर देगे। इसी बिनाय दावा दायर कर अनुतोष यांछित किया है कि आराजी में से गोपाल के हिस्से की भूमि में वादीनी का हिस्सा 1/2 है लेकिन गैर कानूनी रूप से प्रतिवादी 1 लगायत 3 के पिता गोपाल में गलत तरीके से उक्त भूमि का अपने अकेले के हक में नामान्तरकरण करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया जो बमुकाबले वादिनी कलेदम बेअसर है अतः ग्राम चिमनपुरा तहसील लालसोट में स्थित आराजी खसरा 93/1 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 118 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 351 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 414/86 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 119/1 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा कुल किता–5 कुल रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा भूमि, आराजी खसरा नम्बर 71 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का हिस्सा 1/3, 1/3 है। आराजी खसरा नम्बर 3/2 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 47/1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 148/2 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 335/2 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 335/4 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 335/1 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता–7 कुल रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का भी 1/4 व प्रतिवादी 9,10 के पिता हटटया का 1/4 हिस्से में से 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 13 का भी 1/4 हिस्से में से 3/16 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड है। हटटया पुत्र पांचू की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जा चुका है। अन्य आराजी खसरा नम्बर 74 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3, 4 लगायत 6 व 7 तथा 9 लगायत 10 के पिता हटटया का 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज है। खसरा नम्बर 308 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 का हिस्सा 1/2 दर्ज है। एक अन्य भूमि आराजी खसरा नम्बर 325 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 2/3 हिस्से में से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 का 2/3 में से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 2/3 हिस्से में 1/4 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 9–10 का 2/3 में से 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 14 का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त आराजीयात् में प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 के हिस्से में से वादिनी 1/2 हिस्से की हकदार होने के कारण उक्त हिस्सा 1/2 की खातेदारी की वादिनी के नाम उदघोषणा की जावे। साथ ही प्रतिवादीगण को वादिनी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखल–अंदाजी करने से स्थायी रूप से पाबंद किया जावे।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से वकील श्री प्रेम स्वरूप लामडा हाजिर आये तथा वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया गया । शेष प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नही आने पर उनके खिलाफ

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने वादी के वादपत्र के कथनों का खण्डन करते हुए अपने जवाब के चरण संख्या 2, 3, 4, 5 मे वाके तथ्यों को स्वीकार करते हुए चरण संख्या 6 को इस आधार पर खण्डन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 325 वाके ग्राम चिमनपुरा तहसील लालसोट में प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 का 2/3 हिस्से में से 1/4 हिस्सा है। तथा बाकि कथनो को कपोल कल्पित एवं मनगढंत बताया है। प्रतिवादीगण का कहना है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हिस्से की आराजीयात पर वादीनी या अन्य किसी भी व्यक्ति ने आज तक किसी भी प्रकार की कोई काश्त नही की है। एवं न ही कोई लगान सरकारी भी जमा करवाया है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ही अपने हिस्से की समस्त कृषि भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है एवम लगान भी जमा कराते आ रहे हैं। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 की कृषि भूमि पर कभी किसी का कब्जा नही रहा है इसलिए बिनाय दावा व बिनाय मुखास्मत पैदा होने का कोई प्रश्न ही नही उठता है।

आगे प्रतिवादीगण का कहना है कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को विरासत से प्राप्त हुई है। इस प्रकार गोपाल की कृषि भूमि मे वादीनी का किसी भी प्रकार का कोई हिस्सा नही है। एवम् विवादित भूमि वर्तमान मे प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है वादीनी को कोई कब्जा या अधिकार नही है।

प्रतिवादीगण ने अपने जवाब मे यह भी उज्र किया है कि वादपत्र मे वर्णित कृषि भूमि मे वादीनी का आज तक किसी भी प्रकार का कोई ताल्लुक या वास्ता कतई भी नही रहा है वादपत्र के चरण संख्या 1 मे वर्णित कृषि के सह–खातेदार प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के अलावा अन्य भी है जिनका वादपत्र मे खुलासा नही किया गया है। इसलिए वादपत्र वादीनी काबिले खारिज है। वादपत्र के चरण न 6 मे वणित कृषि भूमि आ0 ख0न0 325 के सह–खातेदारो के हिस्से का भी खुलासा नही किया है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 से पूर्व आराजी वादग्रस्त पर तनहा उनके पिता का कब्जा था व खातेदारी थी। उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी 1 लगायत 3 वादग्रस्त आराजी के विरासतन खातेदार हो गये। प्रतिवादीग संख्या 1 लगायत 3 ने अपने जवाब मे वादपत्र के कथनो को कपोल कल्पित एव मनगढंत बताते हुए वाद वादीनी खारिज करने की इस्तदुआ की है।

जवाब वादपत्र की नकल अधिवक्ता वादी को दिलवाई जाकर जवाब शामिल मिसल किया गया तथा प्रकरण तनकीयात हेतु नियत किया गया। पत्रावली मे निम्न कुल 5 तनकी बनाई जाकर कायम की गई।

1. खसरा नम्बर 93/1 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 118 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 351 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 414/86 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 119/1 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा , खसरा नम्बर 71 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा , खसरा नम्बर 3/2 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 47/1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 148/2 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 335/2 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 335/4 रकबा 1 बीघा

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

18 बिस्वा, खसरा नम्बर 335/1 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 74 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 308 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 325 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा स्थित वाकै ग्राम चिमनपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में वादीनी का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हिस्से में से 1/2 हिस्से की रिकार्डेड खातेदार है।

2. आया चिमना के तीन लडके भौरया, धन्ना, गोपाल थे। जो चिमना के मरने से पहले ही भौरया, धन्ना की मृत्यु हो गई थी। चिमना के मरने के बाद चिमना की विरासत का नामान्तरकरण अकेले गोपाल ने खुलवाया।

3. आया दिनांक 19.07.1994 को वादीनी फसल की रखवाली कर रही थी। प्रतिवादी न0 1 लगायत 3 ने उक्त भूमि में आकर दखलंदाजी कर बेदखल करने की धमकी देने के कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ।

4. आया कि वादीनी ने सजरा गलत बताया है। इस कारण वाद खारिज किये जाने योग्य है।

5. आया कि उक्त ख0न0 का प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 के पिता गोपाल पूर्व से तथा गोपाल की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण 1 लगायत रिकॉर्डेड खातेदार है।

तनकी संख्या 1,2,3 को साबित करने का भार वादीनी पर तथा शेष 4,5 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर रखा गया। ततपश्चात् पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वादीनी की ओर से साक्ष्य के रूप मे शपथ–पत्र कल्याणी बेवा गोविन्दराम जाति मीना निवासी चिमनपुरा तहसील लालसोट एव गवाह गोविन्दा पुत्र लोहडीराम जाति मीना उम्र 80 वर्ष निवासी अजबपुरा तहसील लालसोट के शपथ–पत्र पेश किये तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे जमाबन्दी सम्वत् 2048–51 पदर्श–1,जमाबन्दी भूमि एकीकरण सम्वत् 2021 पदर्श–2 पेश किये। तदुपरान्त पत्रावली वास्ते जिरह साक्ष्यवादी नियत की गई। वादीनी कल्याणी बेवा गोविन्दराम से वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह की गई। शेष जिरह नही करने पर जिरह बन्द की जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई। प्रतिवादी 1 लगायत 3 की ओर से साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नही है। तदुपरान्त पत्रावली जिरह साक्ष्य प्रतिवादी मे नियत की गई प्रतिपक्ष की जिरह हेतुं वादी अधिवक्ता को अनेक अवसर दिये गये किन्तु जिरह नही की गई। और दिनाक 12.03.2020 को जिरह साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। दिनाक 12.02.2020 से पत्रावली बहस मे चली आ रही थी। प्रतिवादी अधिवक्ता ने बार–बार एडजर्न चाहा। दिनाक 28.03.2022 को वकील वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 नरसी के कायम मुकाम पेश किये गये जो स्वीकार किये जाकर संशोधित उनवान शामिल मिसल किया गया। दिनाक 08.07.2022 को प्रतिवादी संख्या 1/1 की की अंडर टेकिंग वकील श्री दीनदयाल शर्मा ने दी किन्तु वकालतनामा पेश नही किया गया। फिर दिनाक 24.08.2022 को प्रतिवादी 1/1 की अंडर टेकिंग वकील श्री पी.एस. लामडा ने किन्तु वकालतनामा पेश नही किया गया। वकालतनामा पेश नही करने पर दिनाक 16.09.2022 को प्रतिवादी संख्या 1/1 के

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज0)

विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई तथा पत्रावली बहस हेतु नितय की गई। पत्रावली काफी समय से वास्ते बहस नियत चली आ रही है। तथा विचाराधीन प्रकरण सन् 1994 से दर्ज होकर जेरकार है। काफी अवसर देने के बाद भी प्रतिवादीगण अथवा उनके अधिवक्ता बहस हेतु उपस्थित नहीं रहे है। दिनांक 10.07.2023 को प्रतिवादी संख्या 1, 9 व प्रतिवादी 2 के वारिसान् के उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी को सुना गया। वादीनी की ओर से अपने वाद के समर्थन में जरिये अधिवक्ता लिखित बहस पेश की गई।

अधिवक्ता वादीनी ने अपनी लिखित बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क पेश किये है कि आराजी खसरा नम्बर जिसके बदलते हुए खसरा नम्बरान् आराजी खसरा नम्बर 93/1 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 118 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 351 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 414/86 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 119/1 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा कुल किता–5 कुल रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम चिमनपुरा तहसील लालसोट में स्थित है। अन्य आराजी खसरा नम्बर 71 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का हिस्सा 1/3, 1/3 है यह भूमि भी ग्राम चिमनपुरा तहसील लालसोट में स्थित है। आराजी खसरा नम्बरर 3/2 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 47/1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 148/2 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 335/2 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 335/4 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 335/1 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता–7 कुल रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम चिमनपुरा जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का भी 1/4 व प्रतिवादी 9,10 के पिता हटटया का 1/4 हिस्से में से 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 13 का भी 1/4 हिस्से में से 3/16 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड है। हटटया पुत्र पांचू की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जा चुका है। अन्य आराजी खसरा नम्बर 74 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा भूमि जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3, 4 लगायत 6 व 7 तथा 9 लगायत 10 के पिता हटटया का 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज है, उक्त भूमि भी ग्राम चिमनपुरा में ही स्थित है। एक अन्य भूमि आराजी खसरा नम्बर 325 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा स्थित वाकै ग्राम चिमनपुरा तहसील लालसोट में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 2/3 हिस्से में से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 का 2/3 में से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 2/3 हिस्से में 1/4 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 9–10 का 2/3 में से 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 14 का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादपत्र में अंकित सजरे की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए अपनी लिखित बहस में वादीनी ने आगे तर्क पेश किये है कि पूर्व में उक्त आराजी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता गोपाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित थी। तथा गोपाल से पहले उनके पिता चिमना की खातेदारी में दर्ज थी। चिमना के तीन पुत्र भौर्या, धन्ना, गोपाल थे। चिमना की मृत्यु से पूर्व ही भौरया व धन्ना की मृत्यु हो चुकी थी। चिमना की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि में चिमना के हिस्से पर भौरया की बेवा व धन्ना की बेवा भौरी देवी(वादीनी) एवं गोपाल अपने अपने हिस्से 1/3,1/3 पर काबिज रहकर काश्त करते थे। भौरया की बेवा व गोपाल की भी मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार चिमना के हिस्से की भूमि पर वादीनी भौरी देवी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का ही हक रहा है तथा दौनो ही काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। चिमना की मृत्यु से पूर्व उसके पुत्र भौरया व धन्ना की मृत्यु

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

हो चुकी थी जिसकी वजह से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता गोपाल ने फायदा उठाकर अपने अकेले के ना ही चिमना की विरासत का नामान्तरकरण खुलवा कर तस्दीक करा लिया तथा राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम इन्द्राज करवा लिया। जबकि चिमना की मृत्यु के पश्चात् उसके हिस्से पर वादीनी व गोपाल संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त करते थे तथा अपने अपने हिस्से अनुसार लगान सरकारी भी जमा कराते थे। वादीनी भौरी देवी की मृत्यु के बाद उसकी वारिस पुत्री वादीनी कल्याणी मृतक गोपाल के हिस्से की भूमि पर अपने हिस्से 1/2 भूमि की उद्घोषणा अपने हक में कराने की कानूनन हकदार है। विचाराधीन प्रकरण में वादीनी ने साक्ष्य के रूप में गवाह व दस्तावेजात् पेश कर दावे को न्यायालय के समक्ष साबित कर दिया। जबकि प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये है। इस तरह वादीनी ने न्यायालय के समक्ष अपने दावे को न्यायालय हाजा द्वारा कायम की गई सभी तनकीयात् को वादीनी ने अपने गवाह व दस्तोवजो से साबित किया है। वादीनी मृतक गोपाल के हिस्से में आई भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज है उस भूमि मे से वादीनी 1/2 हिस्से की हकदार है। इस प्रकार लिखित बहस पेश कर निवेदन किया है कि मृतक गोपाल के हिस्से में आई समस्त भूमि जो गोपाल के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज है, मे से वादीनी कल्याणी देवी को 1/2 हिस्से की खातेदारी की उद्घोषणा की जावे तथा प्रतिवादीगण को वादीनी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी एवं बेदखल करने हेतु पाबन्द किया जावे।

हमने पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का गहनता से अध्यनन, परिक्षण किया। विद्वान अधिवक्ता वादी की लिखित बहस के कथनों का प्रतिवादी की अनुपस्थिति के कारण खण्डन नहीं हुआ है। पत्रावली के अधोपान्त अध्ययन एवं परिक्षणोपरान्त यह तथ्य सामने आये है कि वादीनी भौरी देवी बेवा धन्ना निवासी ग्राम चिमनपुरा तहसील लालसोट द्वारा वादपत्र एवं लिखित बहस में वर्णित आराजीयात् को विवादग्रस्त बताकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हिस्से की भूमि मे से 1/2 हिस्से की खातेदारी उद्घोषणा चाही है। वादीनी ने क्लेम किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता गोपाल के नाम दर्ज भूमि उसके पिता व वादीनी के ससूर चिमना की खातेदारी की भूमि थी, जो गलत रूप से अकेले गोपाल के नाम लगा दी गई है जबकि उक्त भूमि में वादीनी का भी बराबर का हक अधिकार निहित है। वादीनी ने चिमना मीना निवासी चिमनपुरा तहसील लालसोट के तीन पुत्र भौरया, धन्ना, गोपाल होना बताया है तथा चिमना की मौजूदगी में भौरया (ना0 औलाद) तथा धन्ना फौत होना जाहिर किया है। इस प्रकार वादीनी का वाद विरचित तनकीयात का वादपत्र के समर्थन में वादीनी एवं बचाव में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दस्तावेजों, गवाहो तथा सबूतों के आधार पर निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है।

तनकी संख्या 1:– खसरा नम्बर 93/1 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 118 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 351 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 414/86 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 119/1 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा , खसरा नम्बर 71 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा , खसरा नम्बर 148/2 3/2 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 47/1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 335/4 रकबा 1 बीघा 18 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 335/2 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 74 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, बिस्वा, खसरा नम्बर 335/1 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 325 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा खसरा नम्बर 308 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा,

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

स्थित वाकै ग्राम चिमनपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में वादीनी का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हिस्से में से 1/2 हिस्से की रिकार्डेड खातेदार है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीनी पर रहा है। वादीनी की ओर से प्रस्तुत शपथ–पत्र कल्याणी बेवा गोविन्दराम जाति मीना निवासी चिमनपुरा तहसील लालसोट एव गवाह गोविन्दा पुत्र लोहडीराम जाति मीना उम्र 80 वर्ष निवासी अजबपुरा तहसील लालसोट तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2048–51 पदर्श–1,जमाबन्दी भूमि एकीकरण सम्वत् 2021 पदर्श–2 पेश किये। एवं पहचान पत्र भौरी व अन्य दस्तावे मूल–निवास की कॉफी बेवा भौरी तथा प्रतिवादीगण के जवाब आदि के गहन अध्ययन से निष्कर्ष निकलते है कि वादीनी ने चिमना के पुत्र धन्ना की बेवा थी। तथा चिमना की भूमि का एक मात्र वारिस गोपाल ही बना है। प्रस्तुत जमाबन्दीयों के अवलोकन एवं गवाहों के बयानो से यह तथ्य भी साबित रहे है कि चिमना की विरासत केवल गोपाल के हक में ही हुई है। चूँकि अपने जबाब में प्रतिवादीगण ने इस बात पर भी एजराज प्रकट किया है कि मीनाओं में हिन्दू उत्तराधिकारी कानून के प्रावधान लागू नहीं होत बल्कि मीना समाज में कस्टमरी के नियम ही लागू होते है इस कारण भौरी को विवादित भूमि में कोई अधिकार नहीं मिलते। प्रतिवादीगण का उक्त तथ्य इस ओर ध्यान आकृष्ट करता है कि भौरी ने जो वादपत्र और गवाह में चिमना की विरासत के तथ्य प्रकट किये है, सही है। अर्थात भौरी चिमना के पुत्र धन्ना की बेवा थी। उक्त जमाबंदीयों सम्वत्– 2048–51 के अवलोकन से यह बात बिल्कुल साबित हो रही है कि गोपाल की विरासत उनके उनके वारिसान नरसी, हरिनारायण,व बदरी को प्राप्त हुई। प्रतिवादीगण की इस बात से हम पूर्णतः सहमत है कि मीनाओ में हिन्दू उत्तराधिकार नियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते बल्कि मीना समाज में कस्टमरी प्रावधान ही लागू होते है किन्तु उत्तराधिकारियों में केवल महिला के होने पर किसी मेल उत्तराधिकारी के न होने पर एकल महिला उत्तराधिकारी को ही वारिश माना जावेगा। विभिन्न न्यायालयों द्वारा सम्पादित विभिन्न न्यायिक निर्णयों में इस सिद्धान्त का प्रतिपादिन किया है। इस स्थिति में धन्ना के बाद भौरी व भौरी के बाद उनकी एकमात्र वारिस कल्याणी को ही कानूनन उत्तराधिकारी पाया जाता है। यहां हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि चिमना की विवादित आराजीयात् में उनके सभी पुत्रों का बराबर हिस्सा कानूनन था चाहे उनका नाम रिकॉर्ड राजस्व में इन्द्राज हुआ हो या नहीं। स्वभाविक है कि जब उनके पुत्र पिता चिमना की मौजूदगी में ही फौत हो गये तो उनके पिता के जीते जी पुत्रों का नाम खातेदारी में इन्द्राज नहीं होता। चिमना के बाद उनके उत्तराधिकारियों में गोपाल व धन्ना की बेवा भौरी कानूनन वारिस रहे है। इस स्थिति में भौरी तथा भौरी के बाद उनकी एकमात्र पुत्री कल्याणी चिमना की खातेदारी में अपने हिस्से की उद्घोषणा करवाने की हकदार है।

तनकी नं0 2 :– आया चिमना के तीन लडके भौरया, धन्ना, गोपाल थे। जो चिमना के मरने से पहले ही भौरया, धन्ना की मृत्यु हो गई थी। चिमना के मरने के बाद चिमना की विरासत का नामान्तरकरण अकेले गोपाल ने खुलवाया।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीनी पर है। जिसके विनिश्चय हेतु वादीनी के वादपत्र, गवाहों के बयानात् एवम् वादीनी द्वारा प्रस्तुत दस्तोवजात का गहनता से परिक्षण किया

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

गया। गवाह गोविन्दा पुत्र लोहडीराम जाति मीना, उम्र 80 वर्ष निवासी अजबपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा की द्वारा वाद पत्र के समर्थन में अपना शपथ पत्र पेश किया है कि आराजी भूमि खसरा नम्बर 93/1 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 118 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 351 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 414/86 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 119/1 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा , खसरा नम्बर 71 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा , खसरा नम्बर 3/2 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 47/1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 148/2 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 335/2 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 335/4 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 335/1 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 74 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 308 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 325 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा स्थित वाकै ग्राम चिमनपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का हिस्सा है। पूर्व में यह भूमि चिमना के नाम थी। चिमना के तीन लडके भौरया, धन्ना व गोपाल थे। चिमना की मृत्यु के पहले ही भौरया व धन्ना की मृत्यु हो गई तथा भौरया की बेवा भी फौत हो गई थी। भौरया के कोई वारिस नहीं है। चिमना की मृत्यु के बाद चिमना के हिस्से की भूमि पर वादीनी की माता भौरी व गोपाल काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। भौरी की मृत्यु हो चुकी है। भौरी की एकमात्र वारिस वादीनी कल्याणी है। तथा गोपाल की भी मृत्यु हो चुकी है। उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 लगात 3 है। गवाह ने अपने बयान में यह भी कहा है कि वो चिमना तथा उनके तीनों बेटे एवं मृतक बेटे की बेवा को जानता है। चिमना की भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि कल्याणी को मिलनी चाहिए। बयानकर्ता से वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं की गई है जिस कारण गवाह के कथना का खण्डन नहीं हुआ है। पत्रावली में उपलब्ध भौरी पत्नी धन्ना के पहचान पत्र से भौरी की पहचान होती है जो ग्राम चिमनपुरा की निवासी है। यह पहचान पत्र सन् 1995 का बना हुआ है। वकील वादी के कथन इस कथन से हम संतुष्ठ है कि धन्ना बहुत कम अवस्था में ही अपने पिता चिमना के रहते फौत हो गया था इस कारण धन्ना के ओर कोई सरकारी कागजात् नहीं बने सके है। किन्तु भौरी देवी के कागजात् से बात एकदम स्पष्ट है कि वह धन्ना जाति मीना निवासी चिमनपुरा तहसील लालसोट की बेवा है। दूसरी ओर गवाह ने भी अपने बयानों में इस बात का समर्थन किया है कि चिमना के तीन लडके थे जिनमें से एक भौरया ना0ओ0 फौत हो गया तथा धन्ना भी अपने पिता के जीवनकाल में ही फौत हो गया था। इन तथ्यों का प्रतिवादीगण द्वारा जिरह में खण्डन किया जाना चाहिए था किन्तु ऐसा नहीं करना बयानात् के कथनों की पुष्टि करता है। साथ ही प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में वादीनी द्वारा बताये गये सजरे को गलत जरूर बताया है किन्तु प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य, सबूत पेश नहीं किये है जो इस बात की पुष्टि करते हो कि सजरा जो वादीनी की ओर से पेश किया गया है, गलत है। जमाबंदी जो प्रदर्श–1 में सम्वत् 2048 से 2051 के अनुसार खसरा नम्बर 93/1 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 118 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 351 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 414/86 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 119/1 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा , खसरा नम्बर 71 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा , खसरा नम्बर 3/2 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 47/1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 148/2 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 335/2 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 335/4 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 335/1 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 74 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 308 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 325 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा स्थित वाकै ग्राम चिमनपुरा तहसील लालसोट जिला

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज0)

दौसा में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 दर्ज खातेदार है तथा नामान्तरकरण संख्या 69 दिनांक 22.04.1994 के अनुसार गोपाल पुत्र चमना की बजाय नरसी, हरीनारायण, बदरी पिता गोपाल मीना के नाम विरासत का नामान्तरकरण हुआ है। यहां यह तथ्य स्पष्ट हो गया है कि विवादग्रस्त आराजीयात् गोपाल की खातेदारी में दर्ज रही है तथा गोपाल से पूर्व यह भूमि उनके पिता चिमना की खातेदारी की भूमि रही है। चूंकि प्रतिवादीगण ने कही भी अपने बयानात् में यह नहीं बताया है कि यह भूमि उनकी स्व–अर्जित भूमि है। प्रतिवादीगण के गवाहान् ने भी ये ही कहा है कि चिमना के एकमात्र वारिस गोपाल होने के कारण चिमना की भूमि का एकमात्र खातेदार गोपाल ही है। इस प्रकार वादीनी का कथन की विवादग्रस्त भूमि चिमना की खातेदारी की भूमि है, स्पष्ट प्रतीत होता है। वादीनी एवं प्रतिवादीगण के गवाह भी इस बात को मान रहे है कि चिमना का एकमात्र वारिस गोपाल ही था और इस बात को खुद प्रतिवादीगण भी कह रहे है। फलस्वरूप यहां यह निष्कर्ष सामने आता है कि चिमना की विरासत अकेले गोपाल को ही मिली है तथा चिमना के दूसरा पुत्र धन्ना की बेवा भौरी थी।

तनकी संख्या 3 :– आया दिनांक 19.07.1994 को वादीनी फसल की रखवाली कर रही थी। प्रतिवादी न0 1 लगायत 3 ने उक्त भूमि में आकर दखलांदाजी कर बेदखल करने की धमकी देने के कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीनी पर रहा है। वादीनी ने अपने स्वयं के बयान में अपने व अपनी माँ भौरी देवी के अधिकार व कब्जे की बता कही है। हांलांकि प्रतिवादी एवं प्रतिवादीगण के गवाह इस तथ्य से इन्कार करते है कि वादीनी का कब्जे कब्जा रहा है। किन्तु वे इस बात से इंकार नहीं कर रहे कि भौरी देवी धन्ना की बेवा थी तथा धन्ना चिमना का वारिस नहीं था। अपने जवाब में प्रतिवादीगण ने वादीनी द्वारा प्रस्तुत सजरे का गलत बताया है किन्तु सही सजरा क्या है इस तथ्य से न्यायालय का समाधान नहीं कर पाये है। वादीनी द्वारा प्रस्तुत एक मूल–निवास दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि भौरी बेवा धन्या जाति मीना निवासी चिमनपुरा तहसील लालसोट की रहने वाली थी। यह प्रमाण पत्र तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी किया गया है। इससे यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी की चिमना की मृत्यु के पश्चात् उसके हिस्से पर वादिनी व गोपाल संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त करते थे। वादिनी ने जैसा कि दिनांक 19.07.1994 को वादीया अपने हिस्से की भूमि की मौजूद रहकर अपनी फसल की रखवाली कर रही थी कि अचानक प्रतिवादी 1 लगायत 3 आये और कहा कि तुम अब उक्त भूमि के तुम्हारे हिस्से की भूमि छोड दो तुम्हारा इस भूमि से कोई लेना–देना नहीं है ना ही तुम्हारे नाम कोई भूमि है यदि तुमने इस भूमि पर से अपना कब्जा नहीं हटाया तो हम तुम्हारे कब्जे काश्त में दखलांदाजी कर तुम्हे लाठी के बल जबरन बेदखल कर देगे। इसी बिनाय दावा दायर कर अनुतोष यांछित किया है कि आराजी में से गोपाल के हिस्से की भूमि में वादीनी का हिस्सा 1/2 है लेकिन गैर कानूनी रूप से प्रतिवादी 1 लगायत 3 के पिता गोपाल में गलत तरीके से उक्त भूमि का अपने अकेले के हक में नामान्तरकरण करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया जो बमुकाबले वादिनी कलेदम बेअसर है। चूँकि मेरी विनम्र राय में वाद हेतुक एक तथ्य ही नही वरन् वह उन तथ्यों का समूह है, जिनको साबित करना वादी की सफलता के लिए आवश्यक है। किसी विशेष क्षण या समय पर

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

वादी के अधिकार का उल्लंघन मात्र ही वाद हेतुक नहीं है। इस प्रकार वाद हेतुक उत्पन्न होना वादीनी के पक्ष में साबित होता है।

तनकी संख्या 4 :—आया कि वादीनी ने सजरा गलत बताया है। इस कारण वाद खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 ने अपने जवाब में वादीनी द्वारा प्रस्तुत सजरे को गलत बताया है। इस संबध में प्रतिवादीगण की ओर से पेश गवाहों ने अपने बयानात में यह नहीं बताया कि सजरा गलत है। प्रतिवादीगण की ओर से गलत सजरे के संबध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया ना कोई गवाह पेश किया गया है। जिसने यह बताया हो कि प्रस्तुत सजरे के स्थान पर कोई और सजरा होना चाहिए था बल्कि वादीनी भौरी देवी से की गई जिरह में भी भौरी देवी ने यह चिमना के तीन बेटे भौरया, धन्ना, बदरी होने के कथन किये है एवं वादीनी के गवाह के बयान से सजरा सही होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रतिवादीगण अपने कथनों को साबित करने में असफल रहे है। फलस्वरूप तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण साबित रही है।

तनकी संख्या 5 :— आया कि उक्त ख0न0 का प्रतिवादी स0 1 लगायत 3 के पिता गोपाल पूर्व से तथा गोपाल की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण 1 लगायत रिकॉर्डेड खातेदार है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा है। उक्त तनकीयात् को विनिश्चत हेतु पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी का अवलोकन किया गया है। जमाबंदी नवीन व जमाबंदी सम्वत् 2048—51 ग्राम पटटीचिमना के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि सम्वत् 2048—51 में गोपाल पुत्र चिमना की विरासत उनके पुत्र नरसी हरीनारायण व बदरी के स्वीकृत हुई है। एवं इस आधार पर वर्तमान में भी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 व वारिसान खातेदार है। यह तनकी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के हक में साबित रही है।

उक्त विवचनों एवं तथ्यो के आधार पर यहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि चिमना की विरासत में मृतक भौरी भी मृतक गोपाल के बराबर हिस्से की खातेदारी की अधिकारी थी। चूंकि गोपाल के बाद उनकी विरासत उनके बेटों नरसी हरिनारायण व बदरी को प्राप्त हो चुकी है जिसमें से नरसी भी फौत हो चुका है तथा नरसी के हिस्से की खातेदारी उनके वारिसान को प्राप्त हो गई है। अतः प्रतिवादी बदरी पुत्र गोपाल, हरनारायण, ज्ञाना, जगदीश पिता हरनारायण, कल्ली पत्नि हरनारायण, नरसी पुत्र गोपाल के नाम दर्ज हिस्से में से हिस्सा 1/2 की मृतक भौरी की वारिश वादीनी कल्याणी को खातेदार घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

–:: आदेश ::–

उक्त विवेचन एवं तथ्यों के आधार वादीनी का वाद प्रावधित प्रावधानों के सम्यक् पाये जाने एवं तनकी संख्या 1, 2, 3, 4 वादीनी के हक में एवं तनकी संख्या 5 प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित हुई है फलस्वरूप विवादित आराजीयात् के संबंध में वादीनी अपने वाद को साबित करने में सफल रही है। अतः वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 93/1 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 118 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 351 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 414/86 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 119/1 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा , खसरा नम्बर 71 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा , खसरा नम्बर 3/2 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 47/1 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 148/2 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 335/2 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 335/4 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 335/1 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 74 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 308 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 325 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा स्थित वाकै ग्राम चिमनपुरा तहसील लालसोट में प्रतिवादी बदरी पुत्र गोपाल, ज्ञाना, जगदीश पिता हरिनारायण, कल्ली पत्नि हरिनारायण, नरसी पुत्र गोपाल (फौत) के वारिसान् के नाम दर्ज हिस्से में से हिस्सा 1/2 की खातेदार, मृतक भौरी की वारिस वादीनी कल्याणी को उद्–घोषित किया जाता है। तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि में से वादीनी कल्याणी का बतौर खातेदार 1/2 हिस्से में नाम इन्द्राज कर अमल दरामद करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.07.2023 को सरे इजलाज सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

बृजेन्द्र मीना (आरएएस)
सहायक कलेक्टर, लालसोट
सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)